बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :– 11/ विविध – 06–26/2015...दिनांक.........................

आदेश

तत्कालीन नलकुप प्रमंडल वर्त्तमान लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान के अधीन संवेदक मेसर्स जीरादेई नरेन्द्रपुर इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा निम्नांकित कार्यो के लिए एकरारनामा किया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार है :–

1	2	3	4	5
क्रमांक	कार्य का नाम	एकरारनामा संख्या एवं तिथि	एकरारित राशि (रूपये में)	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि
1	सिवान जिले के अंतर्गत 15 अदद नलकूप का जिर्णोद्वार कार्य	01 SBD/2013–14, 05.04.2013	2,39,33,526/–	30.04.2014
2	सिवान जिले के अंतर्गत 11 अदद नलकूप का जिर्णोद्वार कार्य	01 fo/ 2013–14, 05.04.2013	1,45,37,666/–	30.04.2014

एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमंडल, सिवान द्वारा अपने पत्रांक 537 दिनांक 26.07.14 तथा 536 दिनांक 26.07.14 एवं 565 दिनांक 01.08.14 द्वारा संवेदक को शेष सभी कार्यो को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था साथ ही नियमानुकूल कार्रवाई हेतु सचेत भी किया गया था, बावजूद इसके संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 22.09.14 को दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यालय सूचना के माध्यम से संवेदक को निदेशित किया गया कि कार्य को शीध्र पूर्ण करें अन्यथा बाध्य होकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, सिवान द्वारा कार्य की प्रगति के पूर्ण व्यौरे के साथ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल छपरा को पत्रांक 629 दिनांक 24.06.15 से प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा दिनांक 28.12.13 के पश्चात कोई भी कार्य नहीं किया गया। एकरारनामा संख्या 01 SBD–2013–14 में मात्र 62.68 प्रतिशत तथा 01 f2/ 2013–14 में मात्र 55.56 प्रतिशत ही कार्य किया गया। इस प्रकार संवेदक द्वारा कार्य को आधा–अधुरा छोड़ दिया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदनों के आधार पर लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक 1520 (मो0) दिनांक 01.09.15 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) (ii) मैं प्रावधानित कदाचार यथा एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार कार्य निस्पानदन में चूक के लिए संवेदक को दोषी पाते हुए संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई। तदालोक में विभागीय पत्रांक 5466 दिनांक 19.11.15 से कारण पृच्छा की गई लेकिन संवेदक द्वारा इसका कोई जबाव नही दिये जाने के कारण पत्रांक 865 दिनांक 10.02.2016 से उन्हें कारण पृच्छा हेतु स्मारित भी किया गया, लेकिन संवेदक द्वारा कारण–पृच्छा नहीं समर्पित किया गया।

कृ0पृ0उ0

संवेदक द्वारा कारण पृच्छा नहीं समर्पित किये जाने की स्थिति में मामले की एकपक्षीय समीक्षा की गई और समीक्षोपरांत यह पाया गया कि बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11(क)(ii) में वर्णित कदाचार यथा–एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चुक के लिए संवेदक दोषी हैं।

अतः संवेदक मेसर्स जीरादेई नरेन्द्रपुर इंजिनियरिंग एंड कन्सट्रक्शन कम्पनी, मुहल्ला–अयोध्यापुरी श्रीनगर, वार्ड नं0 – 1, पो0 + जिला – सिवान के निबंधन संख्या – 02/2012 (श्रेणी – द्वितीय) को दस वर्षो के लिए काली सूची में डाला जाता है।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक.................................. दिनांक...

ीड पोस्ट

प्रतिलिपिः– मेसर्स जीरादेई नरेन्द्रपुर इंजिनियरिंग एंड कन्सट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, मुहल्ला – अयोध्यापुरी श्रीनगर, वार्ड नं0 – 1, पो0 + जिला – सिवान, पिन – 841226 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक 3939 दिनांक 20.7.2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो0 अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना।
20/7/16